न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 22/2024

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,अजमेर

.....*प्रार्थी*

बनाम

श्री विश्राम चौधरी पुत्र श्री श्रवण कुमार, मैसर्स–चौधरी मिष्ठान भण्डार, पावर हाउस चौराहा, अरांई, अजमेर

.....*अप्रार्थी*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) एवं धारा 51 के तहत

उपस्थित : अप्रार्थी स्वयं एवं वकील श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

–: आदेश :–

दिनांक–23.10.2024

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन, अजमेर ने अप्रार्थी के विरूद्व एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने सब स्टैण्डर्ड दही का उपयोग कर खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति माल खरीद, बिल असल, फार्म नम्बर 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर). खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जाँच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 02.06.2023 को 04.00 पी.एम. खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स–चौधरी मिष्ठान भण्डार, पावर हाउस चौराहा, अरांई, अजमेर पर पहूँचे श्री विश्राम चौधरी पुत्र श्री श्रवण कुमार मौके पर उपस्थित मिले मौके पर आम जनता को विक्रय हेतु स्अील की टंकी में 4 किलोग्राम दही रखा हुआ था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान दही में मिलावट का शक होने पर उसमे से 800 ग्राम दही वास्ते नमूना जाँच हेतु 80/– रूपये श्री विश्राम चौधरी पुत्र श्री श्रवण कुमार को नगद देकर गवाह श्री मुकेश कुमार वैष्णव खाद्य सुरक्षा अधिकारी के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

नम्बर 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री विश्राम चौधरी को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करने खरीदशुदा दही को एक रूप कर चार साफ सूखी खाली बोतलों में बराबर बराबर डालने एवं प्रत्येक जार में 20–20 बून्दे फार्मेलिन की डालकर ढक्कन लगाकर बंद करने व लेबल पर डीओ के कोड क्रमांक ए–3835 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर करते हुए चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने में से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपडी से सील मोहर कर, खाद्य विश्लेषक, अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर में सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक मुचिअ/एफएसएसए/2023/8993 दिनांक 03.07.2023 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट सं. एलएस./812/एक्ट/2023/846 दिनांक 09.06.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जाँच उपयोग में लिया गया दही सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 21.05.2024 को प्रस्तुत हुआ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 21.05.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री विश्राम चौधरी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी दिनांक 23.10.2024 को अप्रार्थी श्री विश्राम चौधरी जरिये अभिभाषक उपस्थित हुये तथा जवाब नोटिस पेश किया। उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद मे वर्णित तथ्यों को पढकर अवगत करवाया। अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद में उन पर लगाये गये आरोपों को नकारते हुए यह अनुरोध किया कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रेषित सूचना पत्र दिनांक 03.07.2023 में "यदि आप उक्त जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो उक्त नमूने की पुनः जांच हेतु पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर इस कार्यालय में आवेदन करें।" वर्णित करते हुए जांच रिपोर्ट की प्रति रजिस्टर्ड भेजने का उल्लेख किया गया है जबकि इस आशय की कोई भी डाक उन्हे प्राप्त नहीं हुई। उक्त सूचना पत्र में अप्रार्थी के पिता का नाम श्री सज्जन कुमार एवं पता मैसर्स चौधरी मिष्ठान भण्डार, वापर हाउस चौराहा अंकित किया है जो कि गलत है। अप्रार्थी के पिता का नाम श्री श्रवण है एवं प्रतिष्ठान उक्त पते पर स्थित नहीं है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध परिवाद एवं प्रस्तुत दस्तावेज, आधार व आरोप की जानकारी नहीं देकर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। उक्त गलत सूचना के कारण अप्रार्थी को न तो जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई एवं न ही बचाव हेतु सक्षम कार्यवाही किये जाने का अवसर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी को नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने एवं सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण नियत समयावधि में जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में अपनी असंतुष्टि एवं पर्याप्त सक्षम कार्यवाही नहीं कर सका जो संवैधानिक व विधिक अधिकारों के विपरीत होकर प्राकृतिक न्याय का हनन है। न्याय की मूल अवधारणा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अधिरोपित आरोप की सुनवाई का पर्याप्त व समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिये। विभाग द्वारा प्रेषित डाक अप्रार्थी को प्राप्त नहीं होने के कारण उन्हे प्राप्त विधिक अधिकार नमूने को केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला में पुनः जांच हेतु भिजवाये जाने का लोप/हनन हुआ है। अन्त में उन्होने

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

कथन किया किया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद निरस्त किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद एवं वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद में अप्रार्थी का नाम – श्री विश्राम चौधरी पुत्र श्री श्रवण कुमार एवं पता – मैसर्स चौधरी मिष्ठान भण्डार, पावर हाउस चौराहा, अरांई अजमेर अंकित किया गया है जबकि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के सूचना पत्र दिनांक 03.07.2023 में वर्णित नाम व पते में भिन्नता पाई गई है। इससे वकील अप्रार्थी के इस कथन की पुष्टि होती है कि अप्रार्थी को उक्त पत्र दिनांक 03.07.2023 व इसके संलग्न जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इस कारण उनके द्वारा नमूने को केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला में पुनः जांच हेतु आवेदन नहीं किया जा सका एवं सुनवाई का पर्याप्त व समुचित अवसर प्राप्त नहीं होने के कारण उनके द्वारा सक्षम कार्यवाही नहीं की जाकर बचाव हेतु अपना पक्ष नहीं रखा जा सका। किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को सुनवाई का पर्याप्त व समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक होकर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुकूल है; विचाराधीन प्रकरण के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से अप्रार्थी को ऐसा अवसर प्रदान किया जाना प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद आधारहीन होने से निरस्त किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 23.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

(ज्योति ककवानी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2024/ दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2– संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, अजमेर
3– अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अजमेर।
4– श्री विश्राम चौधरी पुत्र श्री श्रवण कुमार, मैसर्स–चौधरी मिष्ठान भण्डार, पावर हाउस चौराहा, अरांई, अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर